(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"कोल वाशरी को अथवा कोल वाशरी द्वारा आपूर्त किया गया कोल रिजेक्ट्स, जो कि उस कोयले से निकला हुआ हो जिस पर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान किया गया हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया गया हो" ।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या- सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रजंन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2021-

प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 सा.का.नि. 901 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।